न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 35/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :– 28.10.2024

1. गोपाल आत्मज रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी ग्राम व पोस्ट खानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत वास्ते तरमीम दुरस्ती।

वकील प्रार्थीः– श्री भारत भूषण गौत्तम
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 26.11.2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि जमाबंदी संख्या 49 नवीन, 60 पुरानी सम्वत् 2076–2079 की खसरा संख्या 1432/2021 रकबा 0.8090 हैक्टेयर वाके ग्राम खानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी को आवंटन के समय से जिस स्थान पर कब्जा दिया था उसी स्थान पर काबिज काश्त कर उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार हैः–
पूर्व में :–रास्ता खसरा संख्या 1437 तथा उसके बाद देवलाल, लेखराज पिस0 रामदेव गुर्जर की भूमि।
पश्चिम में :– माधो आ0 रूघनाथ की भूमि।
उत्तर में :–गोपी आ0 रामचन्द्र गुर्जर, लेखराज, देवलाल पिस0 रामदेव गुर्जर की भूमियां।
दक्षिण में :– भोज्या पुत्र कालू गुर्जर की भूमि।

यह कि 3–4 माह पूर्व केसीसी नवीनीकरण की फाईल बनवाने के लिए पटवारी हल्का से राजस्व अभिलेख नक्शे आदि की नकले लेने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि उसकी भूमि के सम्बन्ध में गत ऑनलाईन नक्शे में तरमीम की वह प्रार्थी की कृषि भूमि से 60–70 मीटर दूर कर दी गई। वर्तमान में जहां प्रार्थी का वास्तविक कब्जा है वह भूमि परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शायी गई है जो भूमि खसरा संख्या 1432 रकबा 1.7717 बंजड राज0 सरकार के खाते अंकित है। अतः प्रार्थी ने अपने वास्ततिक कब्जे के अनुसार तरमीम संशोधित करवाये जाकर राजस्व नक्शे में प्रविष्टि करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार कार्यालय तहसीलदार नैनवां का पत्रांक :– भू0अ0/24/4619 दिनांक :– 04.11.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 लगायत 09 मे दर्ज तथ्य स्वीकार किये। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट खसरा नं0 1432/2021 रकबा 0.8090 है0 की आवंटन के समय नक्शे में तरमीम नहीं थी। प्रार्थी खसरा संख्या 1432 में से आवंटी को 05 बीघा भूमि आंवटित हुई उस समय से ही आवंटी उसी स्थान पर काबिज है। सेग्रीगेशन में तरमीम करते वक्त आंवटित भूमि के नया खसरा नं0 1432/2021 की तरमीम आवंटी के कब्जा काश्त के स्थान पर न होकर उसी खसरे में अन्य स्थान पर हो गयी। कब्जे काश्त वाला खसरा नं0 1432 रकबा 1.7717 है0 के स्थान पर आवंटित भूमि का नया खसरा नं0 1432/2021 है0 किया जाना अपेक्षित है। तहसीलदार नैनवां ने पटवारी के मुताबिक भूमि पर आंशिक तरमीम कब्जे अनुसार नवीन प्रस्तावित तरमीम के अनुसार राजस्व नक्शा लट्ठा में किये जाने की मय अभिशंषा रिपोर्ट प्रेषित की।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी को आवंटन के समय से जिस स्थान पर कब्जा दिया था उसी स्थान पर काबिज

काश्त कर उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। अतः प्रार्थी ने अपने वास्ततिक कब्जे के अनुसार तरमीम संशोधित करवाये जाकर राजस्व नक्शे में प्रविष्टि करवाने हेतु निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट सेग्रीगेशन में तरमीम करते वक्त आंवटित भूमि के नया खसरा नं0 1432/2021 की तरमीम आवंटी के कब्जा काश्त के स्थान पर न होकर उसी खसरे में अन्य स्थान पर हो गयी। कब्जे काश्त वाला खसरा नं0 1432 रकबा 1.7717 है0 के स्थान पर आवंटित भूमि का नया खसरा नं0 1432/2021 है0 किया जाना अपेक्षित है। जिसे दुरस्त किया जाकर प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण मे अप्रार्थी द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 1432/2021 रकबा 0.8090 हैक्टेयर वाके ग्राम खानपुरा पटवार मण्डल खानपुरा की वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है। एवं तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार भूमि खसरा संख्या 1432/2021 रकबा 0.8090 हैक्टेयर वाके ग्राम खानपुरा पटवार मण्डल खानपुरा की तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 26.11.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

26/11/2024

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां